शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-11/2018/ए-1-683/दस-2018-10(25)/2007

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2018

विषयः- प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों सहित कुल 20 कोषागारों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्र तावित ई-कुबेर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के कोषागारों में ई-कुबेर प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन तर पर दिनांक 06 जून, 2018 को हुयी बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 11 जुलाई, 2018 से प्रदेश के 17 मण्डल मुख्यालयों के कोषागारों (1-आगरा, 2-अलीगढ़, 3-इलाहाबाद(कलेक्ट्रट कोषागार), 4-आज़मगढ़, 5-बरेली, 6-ब ती, 7-चि कूट, 8-गोण्डा, 9-फैजाबाद, 10-गोरखपुर, 11-झाँसी, 12-लखनऊ (जवाहर भवन कोषागार), 13-मेरठ, 14-मीरजापुर, 15-मुरादाबाद, 16-सहारनपुर, 17-वाराणसी) व गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं बाराबंकी कोषागारों सहित कुल 20 कोषागारों में ई-कुबेर की व्यव था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतएव उक्त कोषागारों के सम त आहरण-वितरण अधिकारियों को ई-कुबेर पोर्टल पर लेन-देन करने हेतु आव यक तैयारी सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 11 जुलाई, 2018 से उक्त वर्णित सम त कोषागारों में ई-कुबेर प्रणाली लागू कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2018/ए-683(1)/दस-2018-10(25)/2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

(1) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय उ0प्र0, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) उक्त वर्णित जनपदों के सम त जिलाधिकारीगण।
(3) उक्त वर्णित जनपदों के सम त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारीगण।
(4) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर-208001

आज्ञा से,
राजीव श्रीवा तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर ह ताक्षर की आव यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।